संभागायुक्त कार्यालय
बिलासपुर संभाग बिलासपुर

स्वयम् (Being Myself)

बिलासपुर संभाग के समस्त निःशक्तजनों के व्यापक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, प्रमाणीकरण, सहायता, विकास, स्वच्छ भारत मिशन, आधार एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ते हुए आवश्यक अजीविका साधन द्वारा सशक्तिकरण का अभिनव प्रयास

––00––

1. मौलिक उददेश्य –

निःशक्तजनो का कौशल उन्नयन, सशक्तीकरण, आत्मविश्वास बढ़ाने एवं हर दृष्टि से स्वयं सिद्ध होने के लिये संभाग स्तर पर समस्त निःशक्तजनों के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण हेतु एक संकल्पना कार्य योजना बनाई जा रही हैं। इस योजनान्तर्गत निःशक्तजनों के हित में शासन द्वारा समय–समय चलाई जा रही योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने की है। इसी महत्वपूर्ण कड़ी में सभी निःशक्तजनों के बारे में वृहद सर्वेक्षण कर जानकारी प्राप्त करना है।

2. सर्वेक्षण –

निःशक्तजनों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति जानने के साथ ही उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य योजना बनाने की दिशा में सर्वेक्षण एक महत्व पूर्ण कड़ी है। जिसके माध्यम से निःशक्तजनों की वास्ताविक स्थिति इनके रोजगार/स्वरोजगार की उपलब्धता, साथ ही शासन से मिलने वाले सहायक उपकरण उपलब्धता, निःशक्तता के प्रकार, वर्ग, जानकारी एकत्र कर शासन से सहायतार्थ मिलने वाले अनुदान एवं उपकरण से वे लाभांवित हो रहे है अथवा नही की भी जानकारी समग्र रूप से एकत्रित करना है।

3. कम्प्यूटरीकरण –

वर्तमान में निःशक्तजनों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति एवं परिवार में निःशक्तों की संख्या, रोजगार की उपलब्धता आदि आंकडे ऑफ लाइन/ऑन लाइन नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिसके लिए सर्वे पश्चात् प्राप्त आवेदनों का नगरीय निकाय/जनपद पंचायत में तैयार किये जा रहे साफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाइन एन्ट्री कराया जायेगा।

4. प्रमाणीकरण –

निःशक्तजनों का नगरीय निकाय/जनपद पंचायत स्तर पर जिला पुनर्वास केन्द्र, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में समय–समय पर निःशक्तजनों का प्रमाणीकरण शिविर आयोजन किया जाकर निःशक्तों का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(क) शासन की योजनाओं के साथ अभिसरण

1 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना –

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशक्तजनों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रय दत्त कर्मशाला तिफरा में कम्प्यूटर कोर्स, जनरल इलेक्ट्रीक फिटिंग एवं पेंटिंग व्यवसाय, सिलाई–कटाई, स्क्रीन प्रिंटिंग हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2 स्वरोजगार –

निःशक्तजनों हेतु, समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजन वित्त विकास निगम के माध्यम से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को (महिला/पुरूष) अधिकतम 10.00 लाख रूपये (दस लाख) तक, स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसे निःशक्त द्वारा समान मासिक किस्तों में अदायगी किया जाना अनिवार्य होता है। नियमित किस्त पटाने पर सब्सिडी भी देय है।

3 बैंक लिंकेज –

सभी निःशक्तजनों को शासन से प्राप्त सुविधाओं का लाभ बैंको के माध्यम से दिया जाना है। अतः नगरीय निकाय/जनपद पंचायत के अंतिम छोर पर निवासरत निःशक्तजनो का खाता खोलना प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

4. स्वच्छ भारत मिशन –

स्वच्छता अभियान अंतर्गत शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में निःशक्तो के सुविधा अनुसार स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं ऐसे निःशक्त जो दूर दराज ग्रामीण इलाको मे निवास करते है उन्हे भी स्वच्छ शौचालय उपलब्ध करवाना हैं। तत्संबंध मे नगरीय निकाय/जनपद पंचायत स्तर पर प्रयास हो।

5.जन धन योजना –

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत निःशक्तजनों के खाते खोले जा कर उनको शासन द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति, पेंशन, विवाह प्रोत्साहन राशि, ऋण एवं अनुदान राशि से प्राप्त राशि खाते के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाये।

6 .आधार कार्ड/ईपिक कार्ड –

आधार कार्ड/ईपिक कार्ड निःशक्तजनों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिन निःशक्तजनों के द्वारा अभी तक आधार कार्ड/ईपिक कार्ड नहीं बनवाया गया है। उनका आधार कार्ड /ईपिक कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित किया जावें तथा उनको बैंक से लिंक करने की सुविधा प्रदान किया जायें।

पेंशन –

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 6 से 14 वर्ष के निःशक्त अध्ययनरत बच्चे जो कि बीपीएल 2002 कार्ड धारी हो एवं इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष के निःशक्तों को जो कि बीपीएल 2002 कार्ड धारी हो उन्हें 300/– रू. के पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाता है। सम्पूर्ण संभाग मे यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी पात्र हितग्राही पेंशन से वंचित न हो।

छात्रवृत्ति –

निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर तक 50/– रू. प्रतिमाह, माध्यमिक स्तर पर 60/– रू., हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्तर पर 70/– रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से कक्षा 9 वीं से 12 वीं एवं आईटीआई में अध्ययनरत निःशक्त छात्रों को दैनिक में 85/– रू., छात्रावासी 140/– रू. तथा बीए/बीकॉम/बीएससी में दैनिक हेतु 125/–रू. छात्रावासी हेतु 180/– रू. एवं स्नाकोत्तर एवं व्यवसायिक स्नातक दैनिक 170/– रू. छात्रावासी 240/– रू. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर संभाग के समस्त पात्र निःशक्त छात्र–छात्राओं को इस योजना के तहत् लाभान्वित किया जाये

विवाह प्रोत्साहन –

इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के हों तथा जिनकी आयु महिला होने की स्थिति में 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच एवं पुरूष होने की स्थिति मुं 21 से 45 वर्ष के बीच हो, को शासन द्वारा 21,000/– रू. की राशि एकमुश्त निःशक्त विवाहित जोडे को दी जाती है। जिसके लिए हितग्राही जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय योजना –

योजना के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को जिसके माता–पिता अभिभावक की मासिक आय 5,000 रूपये से 8,000/– रू. तक की आय होने पर 6,000/– रू. तक का संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए जिला पुनर्वास केन्द्र में संपर्क किया जा सकता है।

निःशक्तजन तीर्थयात्रा योजना –

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार किसी एक स्थान की तीर्थयात्रा करने की पात्रता है। तीर्थयात्रा योजनांतर्गत जिसमें 80 प्रतिशत बीपीएल एवं 20 प्रतिशत एपीएल कार्ड धारी तथा जो आयकर दाता न हो, इस यात्रा में शामिल हो सकते है। प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति को एक सहायक ले जाने की भी सुविधा है।

निःशक्तता के क्षेत्र में राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना –

निःशक्त जिन्होंने निःशक्तता होते हुए भी किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये है। उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा 5,001/– रू. नगद एवं प्रशस्ति पत्र तथा ऐसे नियोक्ता जिनके द्वारा निःशक्तजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य किये है, को 10,000/– रू. नगद प्रशस्ति प्रमाण–पत्र एवं सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था 5,001/– रू. नगद, प्रशस्ति पत्र तथा सर्वोत्तम जिले हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदाय किया जाता है। इस योजना हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार निर्धारित आवेदन करने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय रायपुर छ.ग. को भेजे जाते है।

आवासीय सुविधा : –

छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आवासीय कॉलोनियों में 2% आवास एवं व्यावसायिक दुकानों में 3% स्थान निःशक्तजनो के लिए सुरक्षित रखा जाता है, वर्ग विशेष अंतर्गत अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से आबंटन किया जाता है। छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड के सभी ऑफिसों को भी निःशक्तजनों के सुविधानुरूप रैम्प/शौचालय एवं जानकारी देने के लिए पृथक शाखा भी है, जहां से उन्हें त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

14. श्रम विभाग :–

वर्तमान में श्रम विभाग अंतर्गत निःशक्तजनों का पंजीयन लगभग नगण्य है। पंजीकृत नहीं होने के कारण उन्हे श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। 'स्वयम्' योजना के तहत् निःशक्त जो कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, उनका पंजीयन शत् प्रतिशत करा लिया जावे। जिससें पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

15. परिवहन विभाग :–

ऐसे निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 80% से अधिक है उन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क यात्रा हेतु पास जारी किया जाता हैं। पासधारी बस एवं ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कर सकते है साथ ही उनके एक सहयोगी को यात्रा में 50% राशि का छूट प्रदाय किया जाता है। सभी सर्वेक्षण पात्र उम्मीदवारों को इस योजनाओं के तहत् लाभान्वित किया जावें।

16. नगरीय निकाय :–

निःशक्तजनों को 2 % का आरक्षण दुकान एवं गुमटी आबंटन में दिया जाता है।

17. आरक्षण सुविधा :–

छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों निगम एवं मंडलों में होने वाली भर्तियों/नियुक्तियों में निशक्तजनों को आरक्षण प्रदाय किया जाता है।

(ख) अनुकूल वातावरण

पुरे संभाग मे निःशक्तजन अनुकूल वातावरण तैयार करने की भावना के साथ ही इस दिशा में प्रत्येक शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक स्थानों पर, कार्मिक संस्थान, चिकित्सालय, शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्था में रैम्प बनवाने का कार्य पूर्ण करा लिया जावे। इससे निःशक्तों की महत्वपूर्ण भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनके आत्म सम्मान, स्वंय को सिद्ध करने की ओर उल्लेखनीय कदम साबित होगा। समस्त संभाग में विशिष्ट योग्यता ैचमबपंससल ।इसमक) व्यक्ति के लिये उनके अनुरूप स्वच्छ शौचालय का निर्माण समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रो, सार्वजनिक स्थान, चिकित्सालय समस्त कार्मिक संस्थानो में शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।

(ग) स्वयम् केन्द्र

अन्ततः संभाग के कुछ एक जिले में जैसे बिलासपुर, कोरबा एवं रायगढ़, में, ''स्वयम् रिसोर्स सेंटर'' विकसित किया जावेगा। जो निम्न पांच बिन्दुओ पर केन्द्रित रहेगा :–

(क) स्कूल/कॉलेज/तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक पाठयक्रम आदि संस्थानो में प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।

(ख) कौशल विकास एवं रोजगार मूलक प्रशिक्षण निःशक्तजनो को दिया जाना ताकि समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सकें। आजीविका के संसाधन विकसित करना।

(ग) परामर्श प्रदान करना।

(घ) रिसोर्स मोबिलाईजेशन (वित्तीय लिंकेज व उपकरण उपलब्धता)।

(ड़) समुदाय आधारित पुनर्वास (कम्यूनिटी बेसड रिहेबिलिटेशन CBR) के तहत समान अवसर का लाभ दिलाने का प्रयास एवं समाज मे उपयुक्त सम्मानजनक स्थान दिलवाने की पहल करना है।

उपरोक्त पांचो कार्यो/सुविधाओ को एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया जाकर अपने स्तर पर कार्ययोजना के संबंध मे सुक्ष्म प्रबंधन कर लिया जावे।

क्रियान्वयन :– योजना के सफल संचालन हेतु निम्न क्रियान्वयन कोर ग्रुप बनाया गया है।

जिला स्तर पर :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नोडल अधिकारी होंगे।

मुख्य विभाग :– कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न विभाग अग्रणी भूमिका अदा करेंगे :–

1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2) समाज कल्याण विभाग
3) जिला पुर्नवास केन्द्र
4) श्रम विभाग
5) स्वास्थ्य विभाग
6) राजस्व प्रशासन।
7) शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग।